न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/351/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. कस्तुरी बाई पिता जयराम जाति रेगर आयु वयस्क नि० तरनावों का खेडा तहसील कपासन हाल मुकाम पत्नी मदनलाल रेगर निवासी धनेरिया गढ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
2. अणछीबाई पिता जयराम जाति रेगर आयु वयस्क नि० तरनावों का खेडा तहसील कपासन हाल मुकाम चंगेडी तहसील मावली जिला उदयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. नारायणलाल पिता भूरा जाति रेगर आयु वयस्क नि० तरनावों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कन्चन पिता भूरा जाति रेगर पत्नी जीतु रेगर आयु वयस्क नि० तरनावों का खेडा हाल मुकाम बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शांतिबाई पिता भूरा जाति रेगर पत्नी गोवर्धन रेगर आयु वयस्क नि० तरनावों का खेडा हाल मुकाम रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. सोसरबाई पत्नी भूरा जाति रेगर आयु वयस्क नि० तरनावों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार एवं उपपंजीयक कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 :—

निर्णय दिनांकः **24.03.2026**

—:निर्णयः—

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि—

1. यह कि उक्त प्रकरण आपमें विचाराधीन होकर के सुनवाई हेतु आज नियत है।
2. यह कि उक्त प्रकरण में विवादीत आराजीयात को भूरा पिता प्रताप के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के द्वारा क्रय किया गया तथा भूरा पिता प्रताप रेगर निवासी तरनावों का खेडा की क्रयशुदा आराजीयात थी।
3. यह कि वादगत आराजीयात को प्रतिवादीगण के पिता की क्रयशुदा आराजीयात थी तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई आराजीयात हैं एवं प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादगत आराजीयात जरिये नामान्तरण प्रतिवादीगण के खातेदारों में दर्ज की गई आराजीयात है।
4. यह कि उक्त वादपत्र न्यायालय आप में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है क्योंकि वादीगण जब तक वादगत आराजीयात के लिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो प्रतिवादीगण के पिता भुरा पिता प्रताप के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से नल एवं वोयड घोषित नहीं करवा दिया जाता है तब तक उक्त वाद पत्र न्यायालय आपके

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है इस कारण से वादीगण का वादपत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है।

5. यह कि वादीगण की शादी 40 वर्ष हो चुकी है तथा शादी के बाद वादीयागण अपने ससुराल में रह रही है तथा अपने ससुराल की चल अचल सम्पत्ति की मालिक है तथा वादीया के पिता जयराम की मृत्यु आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है इस कारण से वादीयागण को उक्त वादपत्र लाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

6. यह कि वादीया के द्वारा अपूर्ण कोर्ट फीस पर वादपत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की तायद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होकर अस्वीकार है क्योकि सम्वत 2038 से 2042 की साबिक जमाबन्दी में हम अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता के नाम पर दर्ज थी एवं सम्वत् 2052 से 2055 की जमाबन्दी में मु0 हुडी बेवा जयराम, नारायण मुतबन्ना जयराम के नाम पर दर्ज हुई नारायण के पिता भुरा ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से नामान्तरण खुलवा लिया एवं बाद में भुरा ने हुडी की आराजीयात को हुडी के भोलेपन का फायदा उठाकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा दी एवं नारायण की आराजीयात को भी अपने नाम रजिस्ट्री करवा दी है जो कि विधि विरूद्ध है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होकर अस्वीकार है क्योंकि हम अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से से महरूम करके सेटलमेन्ट से भुरा ने मिलीभगत कर फर्जी नामान्तरण खुलवा कर अपने पुत्र के नाम पर करवा दी एवं बाद में अपने नाम रजिस्ट्री करवा दी।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 स्वीकार नहीं क्योंकि हम वादीगण के हक हिस्से की आराजीयात की खातेदारी नाम दर्ज करने की घोषणा करवाना चाहती है साथ ही आराजीयात तरनावों का खेडा तहसील कपासन में स्थित है इसलिए श्रीमान् का श्रवधाकिार होकर श्रेत्राधिकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 अस्वीकार है क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों को अपने पिता की आराजीयात में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 अस्वीकार है क्योंकि नियमानुसार कोर्ट फिस पर वादपत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

7. यह कि प्रार्थीया ने झुठा शपथ पत्र पेश किया है एवं अप्रार्थी/वादीया का शपथ पत्र पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमावें।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व निवेदन किया कि विवादीत आराजीयात को हम प्रतिवादीगण के पिता भूरा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय किया गया है व जरिये विक्रयपत्र के आधार पर क्रय की गई आराजीयात विरासत से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी से दर्ज की गई है। जब तक विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय से नल एवं वॉइड घोषित नही करा लिया जाता तब तक उक्त वाद श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नही हैं। इस कारण से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। साथ ही निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. 2021(2) RRT 1513
2. Bhagwati Devi (Smt.) Vs Board of Revenue & Ors.
   S.B. Civil Writ Petition No. 676 of 2001

वकील वादी/अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस वादवर्णित तथ्यों का दोहराया एवं प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीकृत विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय से नल एवं वॉइड घोषित नही करा लिया जाता तब तक उक्त वाद पत्र सुनवाई हेतु इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन